

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सेड़वा जिला बाड़मेर  
(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई आर.ए.एस.)  
(कोर्ट कैम्प का स्थान ग्राम पंचायत अरटी)

राजस्व आवेदन सं. 134/2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थी अली मोहमंद पुत्र श्री जीवन खान बनाम तहसीलदार सेड़वा

आदेश

प्रार्थी अली मोहमंद पुत्र श्री जीवन खान निवासी सिंंहानिया, द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत मय दस्तावेज कर निवेदन किया है कि पटवार हल्का अरटी, राजस्व गांव सिंंहानिया के खाता संख्या क्रमशः 285, 287 के खसरा संख्या क्रमशः 104, 52, 87, 29, रकबा क्रमश 4.1844, 3.0918, 0.1295, 13.9616 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, जमाबन्दी सवत् 2076-79, में उनका नाम अलीमोहमद पुत्र श्री जीयण, अलीमोहमद पुत्र श्री जीवण राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया है जबकि उनका शुद्ध नाम अलीमोहमद पुत्र श्री जीयण, अलीमोहमंद पुत्र श्री जीवण के स्थान पर अली मोहमंद पुत्र श्री जीवन खान है इस तरह उनका नाम अलीमोहमद पुत्र श्री जीयण, अलीमोहमद पुत्र श्री जीवण के स्थान पर अली मोहमंद पुत्र श्री जीवन खान दुरुस्त किया जावे।

अतः तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 18.09.2025 की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थी अली मोहमंद पुत्र श्री जीवन खान का पटवार हल्का अरटी, राजस्व गांव सिंंहानिया के खाता संख्या क्रमशः 285, 287 के खसरा संख्या क्रमशः 104, 52, 87, 29, रकबा क्रमश 4.1844, 3.0918, 0.1295, 13.9616 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, जमाबन्दी सवत् 2076-79, में प्रार्थी का नाम अलीमोहमद पुत्र श्री जीयण, अलीमोहमद पुत्र श्री जीवण के स्थान पर अली मोहमंद पुत्र श्री जीवन खान है करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर आगामी 15 दिनों में पालना इस न्यायालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।



(बद्रीनारायण विश्नोई आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) सेड़वा

अधिकारी एवं पदेन सहायक

कलक्टर सेड़वा

दिनांक : 16/09/26

क्रमांक:- 151-53

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमलदरामद की पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी अली मोहमंद पुत्र श्री जीवन खान निवासी सिंंहानिया तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) सेड़वा